फैक्स / ई-मेल

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–608 / छः–पु0–9–19–13(2) / 2013
लखनऊः दिनांकः 5 मार्च, 2019

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, वीर बहादुर सिह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा संचालित मुख्य परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1965) की धारा–2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 25 फरवरी, 2019 से 30 जून, 2019 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–608(1) / छः–पु0–9–2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को दिनांकः 5 मार्च, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 प्रतियां शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–608(2) / छः–पु0–9–2019, तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) **आयुक्त**–वाराणसी, आजमगढ़ एवं इलाहाबाद।
(3) **जिला मजिस्ट्रेट**–जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एवं इलाहाबाद।
(4) कुल सचिव, वीर बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय, जौनपुर को उनके पत्रांक–4578 / कु0का0 / 2019, दिनांक 15.02.2019 के सन्दर्भ में।
(5) सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक **(द्वारा–कुल सचिव, वीर बहादुर सिंह, विश्वविद्यालय, जौनपुर)।**
(6) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(7) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921